रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—(

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, अक्तूबर 9—अक्तूबर 15, 2011, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1933

No. 42] NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2011, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 280.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन)	01*(2011) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	पी.बी.-3, (15600—39100 रु.) तथा ग्रेड पे 7600 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत संगठनों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(3)

(11)

(ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-3 15600—39100 रु. और ग्रेड पे 6600 रु. या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जनअध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि (द्वि वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा गणित (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रचालनात्मक अनुसंधान (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि; और

(ii) जनगणना अथवा जनसांख्यिकी और जनअध्ययन संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के क्षेत्र में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के नियोजन और आयोजन का दस वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

1. उपरोक्त मद (i) पर दी गई अनिवार्य अर्हताओं में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टर की उपाधि ।

2. जनअध्ययन संबंधी अथवा जनसांख्यिकी साफ्टवेयर पैकेज के प्रयोग का एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । इसमें एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान में एक से अधिक संशोधन से पूर्व के वेतनमान का विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे अथवा वेतनमान को सामान्यत: प्रतिस्थापित किया गया है ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/13/2004-प्रशा.-II/प्रशा.-V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

32)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 10th October, 2011

G.S.R. 280.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Demography) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2008, expcet as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar General (Demography) in the Office of the Registrar General, India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Demography) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Registrar General (Demography)	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) and Grade Pay of Rs. 7600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(33

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation including short term contract.	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central Government or the State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3 Rs. 15600—39100 and Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** (i) Master's Degree in Demography or Master's Degree in Population Studies (Two years' course) or Master's Degree in Statistics or Master's Degree in Mathematics (with Statistics) or Master's Degree in Oprational Research (with Statistics) or Master's Degree in Economics (with Statistics) from a recognized University; and (ii) ten years' experience in planning conduct of sample surveys in the field of Census or Vital Statistics and analysis of demographic data. **Desirable :** 1. Doctorate degree from a recognized university in any one of the subjects specified in the essential qualifications at item (i) above. 2. one year's experience in using Demographic or Statistical Software Package. **Note 1 :** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/13/2004-Ad. II/Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, डाक-वाहक, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में डाक-वाहक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग डाक-वाहक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डाक-वाहक	1*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200—20200 रु.) ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18-25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तथा